प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 अगस्त, 2025

विषय:- जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभाष वर्मा पुत्र श्री रामदीन वर्मा, निवासी जनपद-फैजाबाद वर्तमान अयोध्या की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-19923/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2023), दिनांक-16.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभाष वर्मा पुत्र श्री रामदीन वर्मा ग्राम-तेलियाइन पुरवा दहलवा, मौजा अमसिन, थाना- गोसाईगंज, जनपद-फैजाबाद वर्तमान अयोध्या का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 20.07.2002 को जमीन तथा चकरोड सम्बन्धी विवाद के मनमुटाव के कारण अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डों से हमला कर श्री रमापति वर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-176/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक नं0-05, फैजाबाद के आदेश दिनांक 06.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी दिनांक 28.05.2022 को जमानत/मुचलके पर रिहा हो चुका है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.05.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 00 माह, 14 दिन तथा 20 वर्ष, 06 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, वादी व बन्दी एक ही गांव में रहने के कारण भविष्य में किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने के कारण वर्तमान समय में निरूद्ध रखा जाना आवश्यक होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 20.07.2002 को जमीन तथा चकरोड सम्बन्धी विवाद के मनमुटाव के कारण बंदी द्वारा अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डों से हमला कर श्री रमापति वर्मा नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुभाष वर्मा पुत्र रामदीन वर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभाष वर्मा (बन्दी संख्या-370/2008) पुत्र श्री रामदीन वर्मा, निवासी जनपद-फैजाबाद वर्तमान अयोध्या के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या-1018/2025/2665(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1018/2025/2665/22-2-2023-17(474)/2025

दिनांक: 12 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभाष वर्मा पुत्र श्री रामदीन वर्मा ग्राम-तेलियाइन पुरवा दहलवा, मौजा अमसिन, थाना- गोसाईगंज, जनपद-फैजाबाद वर्तमान अयोध्या का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 20.07.2002 को जमीन तथा चकरोड सम्बन्धी विवाद के मनमुटाव के कारण अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डों से हमला कर श्री रमापति वर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-176/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक नं0-05, फैजाबाद के आदेश दिनांक 06.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी दिनांक 28.05.2022 को जमानत/मुचलके पर रिहा हो चुका है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.05.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 00 माह, 14 दिन तथा 20 वर्ष, 06 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, वादी व बन्दी एक ही गांव में रहने के कारण भविष्य में किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने के कारण वर्तमान समय में निरूद्ध रखा जाना आवश्यक होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 20.07.2002 को जमीन तथा चकरोड सम्बन्धी विवाद के मनमुटाव के कारण बंदी द्वारा अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डों से हमला कर श्री रमापति वर्मा नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुभाष वर्मा पुत्र रामदीन वर्मा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।